

इस्तेमाल अलग-अलग प्रेसबिटेरियन धर्मसभाओं के परस्पर प्रतिस्पर्धी धार्मिक अधिकारों या उनके बीच अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एचएस थोथोबीने मेंगलवान को कहा, दो समूहों के बीच किसी विवाद का होना अपने आप में कार्यपालिका को किसी धार्मिक संप्रदाय के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने का अस्वीमूर्ति अधिकार नहीं देता। फैसले के अनुसार, मावखर प्रेसबिटेरियन गिरजाघर में विवाद की शुरुआत 2019 में हुए एक घटनाक्रम से हुई, जब करीब 2.86 करोड़ रुपए की राशि का हिसाब नहीं मिला। बाद में एक आडिट की राशि 4.65 करोड़ रुपए के कथित गबन की पुष्टि हुई।